न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, महोबा
उपस्थितः राम नगीना यादव ,एच०जे०एस०,UP 5737

UPMB010011632026

(<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-513/2026)</u>

धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बउवा उम्र 22 वर्ष पुत्र मुन्नालाल अनुरागी निवासी ग्राम डहर्रा, थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश **.....विपक्षी**

मुकदमा अपराध संख्या-157/2026
धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व
3/25 आयुध अधिनियम।
<u>थाना-कोतवाली महोबा,जिला-महोबा।</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बउवा** (इसके पश्चात जिसे "आवेदक" से सम्बोधित किया जायेगा) की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-157/2026, धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. उक्त प्रकरण में आवेदक जेल में है। आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के समर्थन में मुन्ना पुत्र कामता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक का यह **प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र** है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है और न ही कहीं विचाराधीन है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय मय हमराही कर्मचारीगण बिनावर देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम, पेंडिंग विवेचना व मु०अ०सं० 154/2026, धारा-103(1)बी०एन०एस० तलाश वांछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु रपट नं० 07 समय करीब 01.09 बजे रवाना होकर चौकी क्षेत्र पसवारा में भ्रमणशील था जब पसवारा से डहर्रा की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर पहुंचा तो उसे चौकी इंचार्ज भटीपुरा रोशन अन्य हमराही कर्मचारीगण के साथ मिले, वे लोग सुभाष नगर में दिनांक 14.04.2026 को घटित हुयी प्रियंका रैकवार की हत्या के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु बातचीत करने लगे। इसके उपरांत वे लोग सरकारी जीप से ग्राम डहर्रा की ओर बढ़ रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जो पुलिस वालों को देखकर मोटरसाईकिल मोड़कर भागने लगे, लेकिन रास्ता ऊबड़-खाबड़ होने के कारण मोटरसाईकिल गिर गयी तो वे दोनो पत्थरों की तरफ भागे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से

Digitally signed by RAM NAGINA YADAV
Date: 2026.07.01 11:26:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फायर कर दिया। दूसरे व्यक्ति द्वारा फायर किये जाने पर वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक के बांये हाथ में गोली/छर्रा छूकर निकल गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गयी फायरिंग में उक्त दोनो बदमाश कराहते हुए नीचे गिर गये। घटना समय 02.35 बजे की है। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो धर्मेन्द्र उर्फ बउवा के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दूसरे व्यक्ति सुमित सिंह के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त मृतका प्रियंका की हत्या में प्रयुक्त एक अदद सफेद रंग का गमछा, तीन अदद एन्ड्रायड मोबाइल (जिनमें से एक अदद मोबाइल मृतका प्रियंका का है) एक अदद मोटरसाईकिल हीरो एच एफ डीलक्स यू०पी०95 क्यू 7139 सम्बन्धित मु०अ०सं० 154/2026, अन्तर्गत धारा 103(1) बी०एन०एस० बरामद हुआ। अभियुक्तगण को समय करीब 3.00 ए० एम० पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की सूचना उचित माध्यम से उनके परिजनो की दी गयी तथा उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा रवाना किया गया, क्योंकि दोनो के पैरो में गोली लगने के कारण खून बह रहा था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। पूछतांछ के बहाने घर से ले जाकर प्रस्तुत प्रकरण में बनावटी घटना रचकर निरूद्ध किया गया है। वादी मुकदमा/पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्र से फायर करके आवेदक के घुटने में चोट पहुँचाकर घायल किया गया है। कथित फायर से वादी के बायें हाथ में गोली/छर्रा छूकर निकल जाने एवं जलन होने की एक नाटकीय कहानी रचकर धारा-109(1) बी० एन० एस० का अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवेदक के कब्जे से तमंचा कारतूस की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। आवेदक की गिरफ्तारी एवं आग्नेयास्त्र की बरामदगी मु०अ०सं०-154/2026 धारा-103(1) बी०एन०एस० थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा से सम्बन्धित प्रकरण में किये जाने को लेकर दर्शायी गयी है जिसमें आवेदक की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.06.2026 को गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा-109(1) बी०एन०एस० गठित नहीं होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 15.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. अभियोजन की तरफ से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा तथा अन्य पुलिस कर्मचारीगण को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया है और अन्य सह अभियुक्तगण के साथ-साथ तमंचा व कारतूस की बरामदगी हुयी है। मुकदमा अपराध संख्या-154/2026 अन्तर्गत धारा 103(1) बी०एन०एस० थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा में आवेदक का प्रार्थनापत्र खारिज हो चुका है। घटना में निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय को हाथ में फायर इंजरी हुयी है। आवेदक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रपत्रों का अवलोकन किये जाने से यह विदित होता है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द अभियुक्त है। अभियोजन की ओर से आवेदक का पूर्व का कोई

आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। मुकदमा अपराध संख्या-154/2026 अन्तर्गत धारा 103(1) बी०एन०एस० थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा के प्रकरण में आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No.-19501 of 2026 दिनांक 18.06.2026 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। जहां तक वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय को कथित घटना में आग्नेयास्त्र की चोट आने का सम्बन्ध है, तो उसके चोट प्रपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसे बायें हाथ की भुजा में एक साधारण प्रकृति की खरोंच की चोट है। आवेदक दिनांक 15.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है और आवेदक की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. **आदेशः** आवेदक **धर्मेन्द्र कुमार उर्फ बउवा** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वारा मु०50,000/-(पचास हजार रूपया) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय/मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः30-06-2026

(राम नगीना यादव)
सत्र न्यायाधीश
महोबा।